

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बनेड़ा  
जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या.....69/2019 ना.क.

अनवान

पटवार हल्का.....बनेड़ा.....बनाम श्री.....मीरू.....पिता श्री.....रतन.....  
तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा.....जाति.....कटार.....निवासी.....बनेड़ा.....  
(अप्रार्थी)

(प्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
निर्णय

दिनांक.....10/12/19

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:-  
ग्राम.....बनेड़ा.....पटवार मण्डल.....बनेड़ा.....तहसील बनेड़ा की  
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर.....5578.....में से रकबा.....0.13.....बीघा पर  
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्बन्ध.....2026.....के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस.....  
.....काश्त/अवैध कब्जा/.....कर लेने पर पटवारी  
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया  
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण  
होना तथा जिस.....काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई  
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी/बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा  
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है अतः प्रार्थी  
को अतिक्रमी करार देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने  
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान.....0.52X  
.....50.....का गुणा.....30.....रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।  
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई  
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार बनेड़ा  
भीलवाड़ा (राज.)

FORM No. III  
 फर्द अहकाम  
 (नियम 26)

अज अदालत ..... तहसीलदार बनेड़ा ..... मुकाम ..... बनेड़ा  
 प. ह. बनेड़ा ..... वनाम ..... मी. डी. रतन  
 किस्म मुकदमा ..... प्रोसो. ..... 62/19 सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसहुकम की तामील में जारी हुए
6.12.19	<p>हुकम जज रजिस्टर होकर प. प्र. 2.          प्र. 250 का धारा में बहान नोटिस          जारी हो पत्र दली दिनांक 10.12.19          को मय है।</p> <p>शुभ          तहसीलदार बनेड़ा          भीलवाड़ा (राज.)</p>	
10.12.19	<p>पत्रावली पेक्षा हुई / अप्रथी अनुब          रहा निर्वात्र पृथक से लिखाया जाकर          शाठ मि. सिमा जाकर जेल ल शुमार          होकर दर्ज शक्ति नम्बर से कम है।</p> <p>शुभ          तहसीलदार बनेड़ा          भीलवाड़ा (राज.)</p>	

तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

शर्माग रवा  
जाति का भूमिकर्मी निवासी  
उम्मेद रवा  
बनेड़ा

(प्रार्थी)

(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
निर्णय

दिनांक 10/12/19

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:-  
ग्राम बनेड़ा पटवार मण्डल बनेड़ा तहसील बनेड़ा की  
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर 5292 में से रकबा 4.00 बीघा पर  
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्बत् 2016 के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस  
काशत/अवैध कब्जा कर लेने पर पटवारी  
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया  
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण  
होना तथा जिस काशत स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई  
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा  
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काशत की है अतः प्रार्थी  
को अतिक्रमी करार देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने  
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान 3.20 X  
50 का गुणा 100 रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।  
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई  
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार बनेड़ा  
भीलवाड़ा (राज.)

अज अदालत ..... लक्ष्मीलक्षर बनेड़ा ..... मुकाम बनेड़ा  
 किस्म मुकदमा प. ट. बनेड़ा बनाम मलीम खो बनेड़ा  
 अध्याय 91 प्रोसो 83/19 सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसहुकम की तामील में जारी हुए
<p>6.12.19</p> <p>10.12.19</p>	<p>बकाल: जज रजिस्टर हाकर या वि. टि                  2. USK को हाकर या 3 दफ्त नोटिस                  जारी हो पत्रक की दिनांक 10.12.19                  को पत्रक है :</p> <p><i>[Signature]</i>                  तहसीलदार बनेड़ा                  भीलवाड़ा (राज.)</p> <p>पत्रावली पेडा हुई   अपुर्ण उपस्थित                  हुआ निर्णय पृथक से लिखा जाकर                  शा. मि. निमा जाकर कैमल शुभार                  होकर फर्ज रजि. नम्बर ले कर है।</p> <p><i>[Signature]</i>                  तहसीलदार बनेड़ा                  भीलवाड़ा (राज.)</p>	<p><i>[Signature]</i></p>